पंचायती राज महासंघ

PRM

हमारा ई-मेल : pancham.news@gmail.com

पंचम्

पंचायती राज महासंघ का समाचार-पत्र

पंचायती राज महासंघ चुने हुए त्रिस्तरीय पंचायतीराज जन–प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मंच हैं, जो प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त, सक्रिय, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिये प्रयासरत् है। वर्तमान में 25 जिलों के 40 ब्लाकों में लगभग 5000 निर्वाचित जन–प्रतिनिधि पंचायती राज महासंघ की सदस्यता ग्रहण कर कार्यरत् है।

वर्ष : 7 अंक : 10 | भोपाल, अक्टूबर 2013 | RNI MP 2007/20746 | पृष्ठ : 8 | मूल्य 5 रूपए

अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था वाली पंचायतें पुरस्कृत होंगी

HkksikyA मध्यप्रदेश राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2013–14 में स्वास्थ्य व्यवस्था में क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली एवं उपलब्धियां हासिल करने वाली ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को पांच लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वर्ष 2013–14 के कार्यों के आधार पर वर्ष 2014–15 में दिए जाने वाले इस पुरस्कार में यह देखा जाएगा कि ग्राम पंचायतों द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्युदर कम करने, तदर्थ समिति के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी कामों में जन सहभागिता कायम करने तथा पंचायत में सम्पूर्ण टीकाकारण में कितनी सफलता हासिल की है। इसके लिए इच्छुक ग्राम पंचायत अपनी उपलब्धियों का विवरण जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेज सकती है।

पुरस्कार चयन के आधार

- ग्राम पंचायत के सभी गांवों में ग्रामसभा द्वारा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति का गठन किया गया हो।
- ग्राम पंचायत के सभी गावों में ग्राम आरोग्य केन्द्र स्थापित किए गए हों।
- ग्राम पंचायत के सभी गांवों में स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की मासिक बैठकों का नियमित आयोजन किया गया हो।
- ग्राम पंचायत के सभी गांवों में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया गया हो।
- ग्राम पंचायत में सभी शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण किया गया हो।
- ग्राम पंचायत में वर्ष 2013–14 में मातृ एवं शिशु मृत्यु नहीं हुई हो।
- पंचायत में समस्त संचारी एवं असंचारी रोगी चिन्हित किए गए हों।

लोग तैयार कर रहे हैं अपना घोषणा पत्र

लोक घोषणा पत्र में शामिल होंगे लोगों के मुद्दे

pनावों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा मतदाताओं के लिए घोषणा पत्र जारी करने की परंपरा रही है। इसमें राजनैतिक दल यह बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वे जनता के लिए क्या–क्या काम करेंगे? किन्तु एक मजबूत लोकतंत्र में राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों पर तो जनता की निगाह होनी ही चाहिए, साथ ही जनता का अपना भी एक घोषणा पत्र होना चाहिए। यानी जनता खुद अपने प्रत्याशियों तथा चुनाव में शामिल राजनैतिक दलों से कहे कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें किन–किन मुद्दों पर काम करना होगा।

पिछले दो चुनावों से लोक घोषणा पत्र की यह प्रक्रिया जारी है, जिसने अब ज्यादा सक्रिय रूप ले लिया है। मध्यप्रदेश में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कई स्थानों पर लोक घोषणा पत्र को लेकर बैठकें हुई । इस दौरान हुई सघन चर्चा में कई मुद्दे सामने आए।

महिला सरपंच ने हल की वर्षो पुरानी पानी की समस्या

jhokA जिले की ग्राम पंचायत मउहरा में पानी की समस्या बहुत ही गंभीर थीं। यहां भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्डपंप और कुओं के जरिये पानी की समस्या हल करना मुश्किल हो रहा था। इस दशा में सरपंच कुसुमकली ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया। सरपंच कुसुमकली ने मउहरा गांव में 52 एक़ड़ तालाब का प्रस्ताव पास कर जनपद पंचायत भेजा। इस तालाब की तकनीकी स्वीकृति के बाद अब वे रोजगार गारंटी योजना में तालाब का निर्माण करवा रही है। उनका कहना है कि ''तालाब बनने से जमीन में पानी का रिसन —शेष पेज 7 पर

लोक घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्‌दे

- ◆ भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजा. ति एवं गरीब परिवारों के मजदूरों को मनरेगा में एक वर्ष में कम से कम 250 दिन का रोजगार दिया जाए।
- ◆ मनरेगा के मजदूरों के लिए शिकायत प्रकोष्ठ बनाया जाए, जिसमें मजदूरों की समस्या का सात दिन में निपटारा किया जाए।
- ◆ प्रत्येक गांव में बैंक या बैंक मित्र सुविधा स्थापित की जाए, जिससे सभी मजदूरों को गांव में ही मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो सके।
- ◆ भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजा. ति एवं गरीब परिवारों के एक सदस्य को स्वरोजगार की गारंटी दी जाये।
- ◆ मजदूरी दर में वृद्धि की जाये।
- ◆ पुरूषों की तुलना में महिला मजदूरों को अधिक मजदूरी दी जाए।
- ◆ मनरेगा कार्य के दौरान कार्यस्थल पर मजदूरों को मध्यान्ह भोजन दिया जाए।

जबलपुर जिले के ग्राम सिंगौद में लोक घोषणा पत्र पर बैठक आयोजित। मजदूर संगठनों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े 80 प्रतिनिधियों ने हिस्सेदारी की

घोषणा पत्रों में पंचायत एवं मजदूरों के मुद्दे शामिल किए जाएं

t;izdk'k lksuokuh }kjk

जबलपुर। मजदूर, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण विकास, पंचायत एवं मनरेगा से संबंधित ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को विभिन्न राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों में शामिल कराने का प्रयास इन दिनों समुदाय एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा हैं। पंचायत प्रतिनिधि भी इस मामले में सक्रिय हैं। इस संदर्भ में समर्थन द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बैठकों व सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 26 अगस्त को पनागर विकासखण्ड के ग्राम सिंगौद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मजदूर संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में मजदूर व ग्रामीण विकास से जुड़े कई मुद्दे सामने आए।

पंचायत राज और ग्रामीण विकास के लिए सरकार को किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए और मौजूदा नीतियों, योजनाओं एवं कानूनों में किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए? इस संदर्भ में यदि आप अपनी बातें लोक घोषणा पत्र में शामिल करवाना चाहते हैं तो हमें लिखकर जरूर भेजें। ◆ l

कार्यक्रम में समर्थन के विशाल नायक ने पिछले चुनाव में राजनैतिक दलों द्वारा जारी घोषणा पत्रों का विश्लेषण करते हुए बताया कि उनमें हाशिए पर रहने वाले मजदूर वर्ग, खासतौर से प्रवासी मजदूरों के लिए घोषणाएं नहीं के बराबर थी। सन् 2008 में सत्तारूढ़ दल के घोषणा पत्र में प्रवासी मजदूरों एवं मनरेगा को लेकर एक भी घोषणा नहीं थी। कुल 407 घोषणाओं में से सिर्फ 16 घोषणाएं मजदूरों से जुड़ी हुई थी, जबकि मात्र 2 घोषणाएं पंचायत एवं 7 घोषणाएं ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई थी। इन घोषणाओं पर वास्तव में कितना अमल किया गया, इस बारे में यह बात सामने आती है —शेष पेज 7 पर

नई बहस

मध्यप्रदेश की एक जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी से दो प्रतिशत रायल्टी की मांग को लेकर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत इकलेहरा में जैव विविधता प्रबंधन समिति सक्रिय है। इस समिति ने जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन खदानों तक पहुंच एवं लाभ के बंटवारे की मांग की है।

कोयलाः खनिज या जैव संसाधन?

tव विविधता प्रबंधन समिति ऐसी इकाई हैं, जिन्हें जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत पंचायत एवं नगर पालि. का स्तर पर गठित किया जाता है। जैव विविधता अधिनियम के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति को अधिकार है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में विद्यमान जैव संसाधनों के व्यापारिक इस्तेमाल करते वालों और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वालों से लेवी के रूप में शुल्क वसूल सकती है।

इस वर्ष मई मे इकलेहरा पंचायत ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल पीठ में याचिका दायर करते हुए कहा कि चूंकि कोयला जैव संसाधन है, अतः वेस्टर्न कोल फील्ड अपने राजस्व के एक भाग की हिस्सेदारी पंचायत को करें। इकले. हरा के सरपंच और जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ चौरसिया ने बताया कि वेस्टर्न कोल फील्ड ने वर्ष 2012–13 में 1,470 करोड़ रूपए एवं गत् वर्ष 1230 करोड़ रूपए राजस्व एकत्रित किया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जैव विविधता अधिनियम की धारा 2 (सी) के अंतर्गत पेड़, पौधों, जानवरों एवं सुक्ष्म जीवों को जैविक संसाधन माना है। चूंकि कोयला प्राकृतिक रूप से पेड़ो द्वारा बनता है, अतः यह जैव संसाधन है। जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत जैविक संसाधनों के व्यापारिक इस्तेमाल में दवाइयां, औद्योगिक इंतजाइम, खाद्य, सुगंध, सौंदर्य प्रसाधन, रासायनिक मिश्रण, जंगली जैतून, रंग, सत् एवं जीन के हस्तक्षेप से फसल एवं पशु धन में सुधार भी आते हैं।

> इकलेहरा पंचायत ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल पीठ में याचिका दायर करते हुए कहा कि चूंकि कोयला जैव संसाधन है, अत वेस्टर्न कोल फील्ड अपने राजस्व के एक भाग की हिस्सेदारी पंचायत को करें। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला कंपनियां खनन के पूर्व जैव विविधता प्रबंधन समितियों से अनुमति भी नहीं लेती है, जो कि कानूनन् अनिवार्य है। इकलेहरा पंचायत की जैव विविधता प्रबंधन समिति के इस कदम से यह बहस खड़ी हो गई है कि कोयले पर समिति का अधिकार है या नहीं।

अपनी याचिका में जैव विविधता प्रबंधन समिति ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकारी के गठन के 10 वर्ष पश्चात् और मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के गठन के 7 वर्षो के पश्चात् भी इन दोनों ने जैव विविधता के व्यापारिक इस्तेमाल और न ही लाभ में हिस्सेदारी को लेकर जैव विविधता प्रबंधन समितियों से कोई बातचीत की। इससे भी ज्यादा चिन्ताजनक बात यह है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकारी ने अभी तक लाभ में हिस्सेदारी का प्रतिशत तक तय नहीं किया है, जिससे कि जैव विविधता अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला कंपनियां खनन के पूर्व जैव विविधता प्रबंधन समितियों से अनुमति भी नहीं लेती है, जो कि कानूनन् अनिवार्य है। अप्रैल माह में मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने राजस्व की हिस्सेदारी के बारे में कोयला कंपनियों को नोटिस दिया था, लेकिन कंपनियों ने इसे नकराते हुए कहा कि कोयला एक खनिज है। बोर्ड के अनुसार कोयला एक जैव संसाधन है।

मई माह में दायर याचिका के मद्देनजर राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वेस्टर्न कोल फील्ड, कोल इंडिया लि., राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकारी, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मध्यप्रदेश, राज्य जैव विविधता बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि कोयला जैव संसाधन है या खनिज। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह वर्गीकृत करें कि कौन–सा पदार्थ जैव संसाधन है? (पर्यावरण डायजेस्ट से)

पाठक मंच

पंचम के अगस्त और सितम्बर अंक मिले। पढ़कर यह लगा कि पंच–सरपंचों की जानकारियां बढ़ाने के लिए यह अखबार बहुत उपयोगी है। इसके पिछले अंक में आपने विधवा पेंशन के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की थी, वह बहुत अच्छी लगी। पेंशन की यही स्थिति हमारे यहां भी है। हमने अपनी पंचायत की विधवा महिलाओं एवं बुजुर्गो की पेंशन शुरू करवाने की कोशिश की। हमारी कोशिश है कि कोई पात्र व्यक्ति सरकारी योजना से वंचित न रहे।

& eukgjfla g cMkyl] सरपंच, ग्रा.पं. भवती, जनपद एवं जिला बड़वानी।

पंचम् से हमे पंचायतों से संबंधित खबरें मिलती है। पंचायत की जिन खबरों को कहीं भी स्थान नहीं मिलता, उन्हें आप पंचम में प्रकाशित कर हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मेरा सुझाव है कि पंचम में आप खबरों के साथ–साथ हर अंक में किसी एक योजना की जानकारी भी प्रकाशित करें। पिछले अंक में पेंशन योजनाओं की अच्छी जानकारी दी गई थी, जो हमारे लिए उपयोगी है। मनरेगा के बारे में प्रकाशित जानकारी का भी हम उपयोग कर रहे हैं।

& jfo xIrk, सरपंच ककरौआदुनी, ज.पं. पिछौर,जिला शिवपुरी

पंचम् का हमेशा इंतजार रहता है। क्योंकि इसमें पंचायतों से संबंधित उपयोगी सामग्री होती है। आजकल आप इसमें सरपंचों द्वारा किए गए कामों को प्रकाशित कर रहे हैं। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और सीखने को भी मिलता है। इस तरह की खबरें हमेशा प्रकाशित करें।

& jkedj.kfla g] कुशवाहा, सरपंच, ग्रा.पं. रसीदपुर, जं.पं. मुरार, जिला ग्वालियर

पंचायतों की खबरें एक–दूसरे तक पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम है पंचम्। इससे हमें कई अन्य पंचायतों की जानकारियां मिलती है, साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए नियम–कायदों की भी जानकारियां मिलती है। किन्तु यह हमें नियमित नहीं मिलता है। कृपया नियमित भेजने का कष्ट करें।

& vo/k'k pk/kjh, सरपंच ग्रा.पं. पिपरौवा कला, ज.पं. भाण्डेर, जिला दतिया।

पंचम् का सितम्बर अंक प्राप्त हुआ। सामग्री की गुणवत्ता और ले–आउट आदि सभी दृष्टि से यह बहुत आकर्षक लगा। एक खास बात यह है कि इसमें अब जनता की आवाज सुनाई देती है। दूरदराज की पंचायतों की खबरें आप इसमें प्रकाशित कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायत प्रतिनिधियों के साहस, संघर्ष और उपलब्धियों रिपोर्टिंग को देखकर स्थानीय स्वशासन की सफलता के प्रति आशा बंधती है।

& jkt'k Hknkfj;k] मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच, भोपाल

> पंचम् का यह अंक आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप अपने विचार और सुझाव डाक द्वारा हमारे पते पर भेज सकते हैं या इस नंबर पर फोन करके भी लिखवा सकते हैं– Qksu ua- 8889884676

मनरेगा में मिलेगा मुफ्त मोबाइल

ubfnYyhA केन्द्र सरकार मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को मुत मोबाइल फोन दिए जाने की तैयारी में है। पिछले महीने नईदिल्ली में इस बात की चर्चा जोरो पर थी। बताया जाता है कि इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रारंभिक प्रस्ताव के अनुसार कुछ चुनिंदा टेलीकॉम ऑपरेटरों से मोबाइल फोन उपकरण उपलब्ध कराने को कहा जाएगा। इस योजना का नाम भारत मोबाइल स्कीम रखा जा रहा है। मोबाइल फोन उन्हीं मजदूरो को मिलेगा, जिन्होंने सालभर में 100 दिन काम किया हो। जानकारी के अनुसार यही इस योजना का सबसे बड़ा पेंच है। स्वयं सरकार के आंकड़ों के अनुसार बहुत कम लोगों को मनरेगा के तहत एक वर्ष में 100 दिनों का काम मिल पाता है। इस दशा में इस योजना का क्या अर्थ रह जाएगा? सरकार के लिए यह ज्यादा आवश्यक है कि पहले ग्रामीणों को 100 दिनों का कार्य सुनिश्चित करें। बताया जाता है कि मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के मामले में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मनरेगा के अंतर्गत दिए जाने वाले मोबाइल फोन की तीन वर्षों की गारंटी होगी। इस मोबाइल फोन से सरकार की निदेशक कैश ट्रांसफर सहित अन्य योजनाओं की जानकारी लोगों को मिलेगी।

ऐसे दिलवाई रोजगार गारंटी की मजदूरी!

dVuhA जिले की ग्राम पंचायत लखाखेरा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कई महीनों से मजदूरी का पैसा

बकाया था। सरपंच तुलसाबाई इसके लिए जनपद पंचायत के सीईओ से बात करने पहुंची। वे बताती है कि ''जनपद सीईओ का कहना था कि रोजगार गारंटी योजना में तो ऐसा होता ही है, आप नए सरपंच बने हो, धीरे–धीरे समझ जाओगी। मूल्यांकन के बाद ही मजदूरी मिलेगी।'' तुलसाबाई ने पूछा कि मूल्यांकन कब होगा? इस पर सीईओ ने बताने से इंकार कर दिया।

जब जनपद पंचायत में समस्या हल नहीं हुई तो वे कलेक्टर से मिलने गई। उन्होंने रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को मजदूरी दिए जाने में आ रही दिक्कतों और सीईओ के रवैये के बारे में कलेक्टर को बताया। सरपंच तुलसाबाई कहती है कि ''कलेक्टर ने कहा कि 10 दिनों के अंदर मजदूरी पंचायत में पहुंच जाएगी। यदि 10 दिनों में मजदरूी नहीं मिले तो मुझे आकर बताना।''

तुलसाबाई बताती है कि ''दस दिन के अंदर ही पंचायत में मजदूरी का पैसा मिल गया। इससे मुझे यह विश्वास हुआ कि मैं किसी भी अधिकारी से बात कर सकती हूं और समस्या हल करवा सकती हूं। सरपंच तुलसाबाई पंचायत की सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वे हर मंगलवार और शनिवार को स्कूल का दौरा कर मध्यान्ह भोजन की निगरानी करती है। वे अपने गांव में एक और आंगनबाड़ी खुलवाना चाहती है। उनका कहना है कि ''गांव में 125 बच्चे है, जिनके लिए एक आंगनबाड़ी पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक और आंगनबाड़ी के लिए ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास कर जनपद पंचायत में भेजा गया है।

पंचायत की खबरें

राजगढ़ जिले की जनसुनवाई में उठा मनरेगा का मुद्दा

jktx<A मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अब ग्रामीण जागरूक होते नजर आ रहे हैं। 3 सितम्बर को जिले की कई ग्राम पंचायतों के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच अपनी–अपनी पंचायत में मनरेगा के संबंध में विभिन्न शिकायतें की, जिसमें मजदूरी भुगतान नहीं होने, जॉब कार्ड में इंट्री नहीं किए जाने, पासबुक जारी नहीं किए जाने संबंधी शिकायतें प्रमुख है।

जिले की ग्राम पंचायत खरना के दर्जनों लोगों ने 3 सितम्बर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मनरेगा में भष्टाचार की शिकायत की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव ने मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं का पैसा तो निकाल लिया, किन्तु उसे उपयुक्त कामों पर खर्च नहीं किया गया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक पंचनामा सौपा, जिसमें कहा गया कि ग्रामवासियों को इंदिरा आवास, मेड़ बंधान एवं प्लांटेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंचनामा में यह भी आरोप लगाया है कि पोस्टमेन द्वारा लोगों को पासबुक नहीं दी जा रही है।

etnjh ugh feyh

ग्राम टांडी के लोगों ने शिकायत की है कि अभी तक उन्हें रोजगार गारंटी के तहत मिलने वाली मजदूरी प्राप्त नहीं हुई। उनके जॉब कार्ड खाली पड़े हैं। ग्रामवासी सत्यानारायण, हजारीलाल एवं चंपीबाई ने बताया कि लोगों को उनके बैंक खातों की पासबुक भी नहीं दी गई है, जिससे उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा है कि उनके खाते में कितने पैसे जमा किए गए और कितने निकाले गए।

ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी तरीके से जॉब कार्ड की राशि निकलाने की शिकायत ग्राम खेड़ी के ग्रामवासियों ने भी की। 3 सितम्बर को इस पंचायत के जगदीश, प्रीतमसिंह, मुकेश, कमलेश, और हेमराज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच यह शिकायत जिला कलेक्टर से की।

ग्राम पंचायत बामनगांव के ग्रामीणों ने नंदन फलोद्यान का लाभ पात्र ग्रामवासियों को नहीं दिए जाने की शिकायत की, वहीं ग्राम पानिया के लोगों ने पटवारी द्वारा दस्तावेज बनाने के लिए पैसे मांगे जाने की शिकायत जिला कलेक्टर से की।

सपना और योजना

सरपंच सुनन्दा के सपने की पंचायत

jktUnz c/kS }kjk

पंचायत की राजनीति मे पहली बार कदम रखने वाली सरपंच सुनन्दा का कहती है कि ''मैं अपनी पंचायत को नंबर वन की पंचायत बनाना चाहती हूं।'' नंबर वन की पंचायत का मतलब वह बताती है कि ऐसी पंचायत जहां कोई समस्या नहीं हो। सभी बच्चे स्कूल जाएं, कोई बच्चा कुपोषित नहीं हो, महिलाओं पर हिंसा नहीं हो, सभी इंसानों को बराबरी का दर्जा और सम्मान मिले तथा सभी को रोजगार के अवसर मिले। आदिवासी समुदाय की सुनन्दा परतेती छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत देवी की सरपंच है। यह पंचायत सौंसर जनपद पंचायत के अंतर्गत शामिल है। सरपंच सुनन्दा कहती है कि पंचायत का सपना संजोने में उन्हें देर जरूर हुई है, किन्तु वे उसे जल्दी ही पूरा करेगी। उनका कहना है कि शुरू के एक–दो साल को पंचायत के काम को समझने में ही बीत गए। पहले मैं समझती थीं कि पंचायत का काम तो सरकारी योजनाओं को लागू करने का ही है। लेकिन अब समझ में आया कि पंचायत का काम गांव का और लोगों का विकास करना है।

- जिला एवं जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में नियमित रूप से भागीदारी करती है और नई–नई जानकारियां हासिल करते हुए विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अंतर्गत 2.43 लाख रूपए की लागत से नलकूप लगवाया।
- लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री को पत्र लिखकर पेयजल टंकी स्वीकृत करवाई।
- 25 परिवारों के नाम बीपीएल सूची में जुड़वाए।

करीब ढाई हजार की जनंसख्या वाली ग्राम पंचायत देवी आबादी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद की सबसे बड़ी पंचायत है। वर्ष 2010 के पंचायत चुनाव में सुनंदा परतेती को पंचायत की दूसरी महिला सरपंच बनने का अवसर मिला। यहां पिछड़ी जाति की बहुलता है और राजनैतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से पहुंच वाले लोग पंचायत के कामों भी रूचि रखते हैं। अतः पद संभालने के बाद सुंनदा के लिए सरपंच की भूमिका निभाना चुनौतिपूर्ण था। पढ़ना–लिखना न जानने के बावजूद सरपंच सुनंदा ने विकास कार्यो के जरिये चुनौतियों का सामना किया और यह साबित किया है एक महिला भी सत्ता, राजनीति और विकास के सभी काम बखूबी पूरे कर सकती है।

सरपंच सुनन्दा जिला एवं जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में नियमित रूप से भागीदारी करती है और नई–नई जानकरियां हासिल करते हुए विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। वे ग्रामसभा का आयोजन कर लोगों को इकट्ठा करती है और लोगों के सवालों का जवाब देती है। सरपंच चुने जाने के बाद सुनंदा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अंतर्गत 2.43 लाख रूपए की लागत से नलकूप लगवाया, साथ ही पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड क्रमांक 12 एवं 19 में हैण्डपंप लगवाए। वे गांव की साफ–सफाई पर विशेष ध्यान देती है।

गांव में पानी की समस्या बहुत गंभीर रही है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री को पत्र लिखकर पेयजल टंकी स्वीकृत करवाई। गांव के 25 परिवारों के नाम गरीबी के बावजूद बीपीएल सूची में शामिल नहीं थे। इसके लिए उन्होंने उनके आवेदन पत्र तहसीलदार को भिजवाएं, जिससे उनका नाम बीपीएल सूची में शामिल हो पाया। वे हमेशा तकनीकी जानकारियां हासिल करने और मुद्दों को समझने की कोशिश करती है। यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो अपने क्षेत्र के जनपद सदस्य एवं अन्य पंचों से बातचीत करती है। इससे उनमें अपने कामों को पूरा करने और सक्षमता हासिल करने का उत्साह साफ नजर आता है, जो उनके नेतृत्व की खासियत है।

मेरी बात

पिछले दिनों हमने मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने कार्यों और उपलब्धियों के बारे में बताया, जिससे सीख एवं प्रेरणा मिलती है। यहां प्रस्तुत है उनके कुछ अनुभव।

''जनपद पंचायत क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों का भ्रमण करते हुए वहां की समस्याओं को पहचानने का प्रयास किया गया। पानी, स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं वृद्धावस्था व विधवा पेंशन योजना, आदि की जांच करते हुए हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की।''

& Jherh dk'kY;k >k>k, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, बागली, जिला देवास।

मैने अपनी पंचायत में रोजगार गारंटी के कामों को सफलतापूर्वक पूरा किया। मेरी यह कोशिश रही है कि किसी भी व्यक्ति को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़े। मैं ग्रामसभा में रोजगार गारंटी के कामों की योजना बनाता हूं और लोगों की मांग के अनुसार काम शुरू करवाता हूं।

& 'ke'kj flg] सरपंच, ग्राम पंचायत बड़दा (जिला आलीराजपुर)

''मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती हूं और विकास में जनता की सहभागिता के प्रयास करती हूं। मैने अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जन सहयोग से 1.50 लाख रूपयों से सड़क बनवाई। मेरी कोशिश है कि अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी अच्छी तरह से संचालित हो तथा बच्चे और महिलाएं कुपोषित नहीं रहे। इसके लिए मैं आंगनबाड़ी का दौरा करती हूं और कार्यकर्ता तथा ग्रामवासियों से बातचीत कर समस्याओं को हल करने का प्रयास करती हूं।

& vti efgiky lkjoku, सदस्य, जनपद पंचायत इन्दौर।

''मैने अपने कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण पानीगांव बायपास रोड़ बनवाया। साथ ही स्कूल के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्रीवॉल बनवाई। मैने अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में जाकर अवलोकन किया एवं बंद पाए गए हैण्डपंपों को चालू करवाया।''

& x|Vhcko] ljiip, ग्राम पंचायत पानीगांव, जिला देवास

''मैने ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण का कार्य शुरू करवाया। साथ ही वहां के महिला स्वयं सहायता समूहों को ग्रामसभा में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें खादी ग्रामोद्योग के आयवर्धक कार्यक्रम से जोड़ा। &iheyrk] ip] ग्राम पंचायत बरवाई, जिला देवास।

''मेरी पंचायत में कई तरह की दिक्कतें हैं। मैं चाहती हूं कि गांव साफ–सुथरा हो और गांव के सभी लोग स्वस्थ्य रहे। इसके लिए मै पक्की नालियों का निर्माण करना चाहती हूं। किन्तु अतिक्रमण इसमें एक बड़ी समस्या है। इससे राहगीरों को भी दिक्कत होती हैं। मैं अतिक्रमण हटाने और गांव की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही हूं। मेरा यह भी सपना है कि मेरे गांव में आठवी कक्षा तक स्कूल खुले, ताकि लड़कियां को पांचवी कक्षा के बाद गांव में ही पढ़ाई का अवसर मिल सकें।

T;kfr tk'kh ljiip, ग्राम पंचायत नावदा, जिला इन्दौर

''मुझे यह समझ में आया कि ग्रामसभा ही पंचायत को बेहतर बना सकती है। पंचायत के कामों में लोगों की भागीदारी कायम करने में ग्रामसभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह कोशिश करूंगी कि मेरे गांव के सभी लोग, खासकर महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में ग्रामसभा में शामिल होकर अपने मुद्दे रखें और उन पर फैसला लें।'' &dirk] ip] ग्राम पंचायत तिल्लौर बुजुर्ग, जिला इन्दौर।

कहां है मनरेगा समूह?

[k.MokA महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गांव में 30 से 50 मजदूरों के समूह बनाने और हर समूह द्वारा अपना मेट चुनने का प्रावधान है। किन्तु इसकी जमीनी हकीकत मध्यप्रदेश के खण्डवा जिले में देखने को मिली, जहां कई गांवों के लोगों को पता ही नही कि वहां इस तरह के कोई समूह है।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग सभी गांवों में मनरेगा के समूह गठित किए जाने और प्रत्येक समूह द्वारा अपना मेट चुने जाने की बात कही गई हैं। किन्तु खण्डवा जिले की जनपद पंचायत पंधाना की ग्राम पंचायत जामली, राजपुरा, कांकरिया और अस्तरिया के लोग बताते हैं कि उनके गांव ऐसे कोई समूह गठित ही नहीं हुए है। यानी यहां समूह सिर्फ कागज पर ही ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा गठित कर लिए गए हैं। इन पंचायतों के लोग यह भी बताते हैं कि पिछले एक साल में उन्हें मनरेगा में कोई काम नहीं मिला।

मनरेगा के नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश सरकार ने न सिर्फ समूह गठित करने एवं उनके मेट चुने जाने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिए, बल्कि हर

[k.Mok ftys dh xke ipk;rk e ykxk dk eujxk leg d ckj e tkudkjh ugh gA ykx dgr g fd ;gk u rk leg cu vkj u gh mUgku dkbl eV puA

पंचायत में महीने में एक दिन रोजगार उत्सव मानने के निर्देश भी दिए गए है, जिसके अंतर्गत सभी समूहों के लोग, उनके मेट, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की उपस्थिति में हर समूह द्वारा रोजगार की मांग हेतु आवेदन पत्र तैयार किए जाने का नियम है। किन्तु खण्डवा जिले की उक्त ग्राम पंचायतों के अनुभव से यह बात सामने आती है कि यहां यह सब कागज पर ही हो रहा है।

इससे यह स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं और उसके दिशा निर्देशों का जमीनी स्तर पर पूरी प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वयन नहीं होता है। लोगों तक उनकी जानकारी प्रसारित नहीं होती है और उन्हें क्रियान्वित करने वाले तंत्र पर समुदाय की कोई निगरानी नहीं रह पाती। इस दशा में यह सवाल प्रमुखता से सामने आता है कि मनरेगा के नए दिशा निर्देश किस तरह प्रभावी होंगे?

लापरवाही के आरोप में सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश

रायसेन जिले की ग्राम पंचायत चारगांव एवं उमराई बेहरा द्वारा शाला में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण पूरा नहीं किया गया।

jk;lsuA सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य में लाप. रवाही एवं उदासीनता बरतने पर जिला कलेक्टर द्वारा जनपद पंचायत बाड़ी की ग्राम पंचायत चारगांव की सरपंच श्रीमती फूलाबाई एवं सचिव दुर्गाप्रसाद तथा ग्राम पंचायत उमराई बेहरा के सरपंच दौलतसिंह एवं सचिव देवेन्द्रसिंह के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी बरेली को पिछले महीने दिए गए।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत चारगांव में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009–10 में प्राथमिक शाला में 2 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए 5,02,000 रूपए स्वीकृत किए गए थे। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत को 2,51,000 रूपए प्रदान किए गए थे। लेकिन पंचायत द्वारा दीवार स्तर तक का ही निर्माण कार्य कराया गया, जिसका उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन करने पर 1,53,613 रूपए का व्यय होना पाया गया। इस हेतु ग्राम पंचायत को पूर्व में भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके स्पष्टीकरण में सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर 2 माह में कार्य पूर्ण कराने को कहा था, लेकिन कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत उमरई बेहरा में वर्ष 2010–11 में प्राथमिक शाला में एक अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए 2,78,000 रूपए स्वीकृत किए गए थे। निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत को 2,21,000 रूपए प्रदान किए गए थे, लेकिन पंचायत द्वारा छत स्तर तक का ही निर्माण कार्य किया गया, जिसका उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन करने पर 1,01,000 रूपए व्यय होना पाया गया। संबंधित सरपंच एवं सचिव को भी पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः कलेक्टर रायसेन ने अनुविभागीय अधिकारी बरेली को संबंधित सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध धारा 40 एवं 92 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

ग्राम पंचायत धरमराय के सरपंच–सचिव पद से हटाए गए

सरपंच के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही की गई

/kkjA जिले की जनपद पंचायत डही में शामिल ग्राम पंचायत धरमराय के सरपंच गरला भिलाला तथा सचिव तारसिंह को कुक्षी के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पद से हटा दिया गया। बताया जाता है कि सरपंच के विरूद्ध यह कार्यवाही मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत की गई। ग्राम पंचायत धरमराय के सरपंच एवं सचिव पर यह आरोप था कि उन्होंने 11 व्यक्तियों को अनैतिक लाभ देने हेतु फर्जी दस्तावेज तैयार कर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए। इस संबंध में कुक्षी के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच के बाद सरपंच को धारा 40 के अतर्गत दोषी पाया गया, वहीं ग्राम पंचायत सचिव को ''मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998'' के उल्लंघन का दोषी पाया गया। सरपंच एवं सचिव को पद से हटाने के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु जनपद पंचायत डही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिया गया है।

मुद्दा

यह माना जाता है कि वन अधिकार कानून के लागू होने पर जंगलों में बसर कर रहे आदिवासी समुदाय को आवास और आजीविका के मामले में बड़ी राहत मिली है। ''अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत् वन निवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006'' नाम से लागू इस कानून के कारण पीढ़ियों से वन भूमि पर काबिज आदिवासी समुदाय को उनका वह अधिकार मिलने की संभावना बनी, जिसे वर्षों पहले अंग्रेजों द्वारा वन विभाग की स्थापना के साथ छीन लिया गया था। वर्ष 2006 में कानून पारित होने तथा वर्ष 2008 में इसे लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक आधा दशक बीच चुका है। अतः यह देखना जरूरी है कि बीते आधे दशक में हम इस कानून के जरिये आदिवासियों को उनकी वन भूमि का अधिकार दिलवाने में कितने सफल हुए है?

-रिपोर्ट राजेंद्र बंधु

क्यों नहीं मिलता वन अधिकार?

कानून लागू होने के आधे दशक बाद भी वन अधिकार से वंचित है कई आदिवासी परिवार

eध्यप्रदेश में वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर केन्द्रित एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि आज भी कई आदिवासी परिवार बड़ी संख्या में वन अधिकार से वंचित है। अध्ययन से सामने आए तथ्यों के अनुसार आदिवासी समुदाय के 79 प्रतिशत लोगों को इस कानून की जानकारी ही नहीं है। जबकि जितने लोगों तक इस अधिकार की जानकारी पहुंची है, वह भी आधी–अधूरी ही है। इस कानून को जानने वाले आदिवासी समुदाय के 50 प्रतिशत लोग यह मानते हैं कि उन्हें वन भूमि पर अधिकार पत्र देने का फैसला सरपंच एवं सचिव लेंगे। अधिकार पाने के लिए दावा प्रपत्र भरने की जानकारी सिर्फ 28 प्रतिशत लोगों को ही है। जबकि अधिकार पत्र पाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी वाले लोगों की संख्या सिर्फ 4 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश के झाबुआ, आलीराजपुर, धार, बड़वानी और रतलाम सहित कुल पांच जिलों में किए गए अध्ययन से इस बात का खुलासा होता है कि वन भूमि पर निवास कर रहे 66 प्रतिशत लोगों ने जानकारी के अभाव में दावा आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किए। जबकि जिन लोगों ने दावा आवेदन प्रस्तुत किए, उनमें से 45 प्रतिशत दावों पर आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। इस प्रकार यदि हम वन भूमि पर काबिज कुल पात्र परिवारों और अधिकार पत्र पाने वाले परिवारों की संख्या का आकलन करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिर्फ 19 प्रतिशत परिवारों को ही अब तक वन भूमि का अधिकार पत्र मिला पाया है। यानी 81 प्रतिशत परिवार हकदार होने के बावजूद अपने हक से वंचित है।

ou Hkfe ij nkos dh tfVy izfØ;k

वन अधिकार कानून के अनुसार 13 दिसम्बर 2005 या उससे पहले वन भूमि पर रहने वाले आदिवासी परिवारों तथा पिछली तीन पीढ़ियों से वन क्षेत्र में निवास कर रहे गैर आदिवासी समुदाय को वन भूमि पर अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए उन्हें जिला वन अधिकार समिति द्वारा अधिकार पत्र प्रदान किए जाने का नियम हैं। किन्तु इसके लिए ग्राम वन अधिकार समिति को अपना दावा आवेदन देना जरूरी है। अब तक के अनुभवों में यह बात सामने आई है कि दावा आवेदन प्रस्तुत करने में आदिवासी समुदाय को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अंतर्गत पहली दिक्कत थी दावा प्रपत्र को समझना। यह स्पष्ट है कि यह अधिकार दूरदराज में बसे आदिवासी समुदाय के लिए है जो कानूनी प्रक्रिया तथा तकनीकी भाषा शैली नहीं जानते हैं। इसके बावजूद दावा प्रपत्र को विशुद्ध कानूनी/तकनीकी भाषा में तैयार किया गया, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। दावा प्रपत्र के कुछ बिन्दुओं व धाराओं को समझाने के लिए दी गई तकनीकी परिभाषाओं को भी समझना बहुत मुश्किल है। इस दशा में आदिवासी समुदाय से यह उम्मीद किया जाना उचित नहीं है कि वे इस दावा प्रपत्र को भरकर या किसी से इसमें जानकारी भरवाकर प्रस्तुत कर सकें। जबकि उनकी मदद के लिए सरकार द्वारा कोई सहयोगी तंत्र भी स्थापित नहीं किया गया।

इस अधिनियम के अंतर्गत दावेदार आदिवासी समुदाय को यह साबित करना जरूरी है कि वह 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज है। इसके लिए उससे कई प्रकार के सबूतों की अपेक्षा की गई है, जिनमें दण्ड या जुर्माना रसीद, वन विभाग का कोई नोटिस, कोई अन्य अभिलेख आदि प्रमुख है। यह बात उपयोग की जा रही वन भूमि पर स्थित किसी अन्य ढांचे या अवशेषों से भी साबित की जा सकती है, जिसका उल्लेख अधिनियम में किया गया है। इसके बावजूद उप खण्ड एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा दस्तावेजी सबूतों को ही महत्व दिया गया। जबकि पीढ़ियों से वन भूमि पर काबिज आदिवासी समुदाय के लिए दस्तावेजी सबूत संभालकर रखना मुश्किल रहा है।

Qly; eu ugh gk jgh g lenk; dh lgHkkfxrk

इस अधिनियम के अंतर्गत फैसले की प्रक्रिया में समुदाय की सहभागिता का प्रावधान है। इसके लिए ग्रामसभा के माध्यम से ग्राम वन अधिकार समिति का गठन, ग्रामसभा में दावों का अनुमोदन, उप खण्ड एवं जिला स्तरीय समिति में जनप्रतिनिधियो को शामिल करना अनिवार्य माना गया है। किन्तु जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन में कई तरह की खामिया देखी गई है। प्रत्येक गांव में दावा प्रपत्रों के सत्यापन के लिए ग्राम वन अधिकार समिति का गठन ग्रामसभा में किया गया है। किन्तु अधिकांश परिवारों को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके गांव में इस प्रकार की कोई समिति है। सिर्फ 24 प्रतिशत लोग ही इस समिति के बारे में जानते है। शेष 76 प्रतिशत लोग न तो समिति के बारे में जानते और न ही उसके अध्यक्ष व सदस्यों के बारे में जानते है। यानी समिति का गठन लोगों से चर्चा करके नहीं किया गया।

अध्ययन से सामने आए तथ्यों के अनुसार ग्रामसभा के रिकॉर्ड में समिति के गठन की बात जरूरी कही गई है, किन्तु समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव चर्चा करके नहीं किया गया, बल्कि सरपंच व सचिव द्वारा ही अपनी पंसद से लोगों के नाम रजिस्टर में लिखकर ग्रामसभा से उसका अनुमोदन करवा लिया गया। अनुमोदन करवाते समय लोगों को यह नहीं बताया गया कि इस समिति का काम क्या है तथा इसका क्या महत्व है। समिति के गठन से संबंधित तथ्यों से जो बात प्रमुखता से सामने आती है, उसमें 33 प्रतिशत गांवों के अध्यक्षों को अपने चुनाव के बारे भी जानकारी नहीं है। उन्हें यह नहीं मालूम की उन्हें किसने चुना। इसी तरह 42 प्रतिशत सदस्यों को भी अपने चुनाव के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है।

समिति के गठन में महिलाओं की भागीदारी भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं पाई गई। इसके अनुसार प्रत्येक समिति में कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों का होना जरूरी है, किन्तु ग्राम पंचायतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 47 प्रतिशत गांवों में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से कम है। इनमें 20 प्रतिशत गांव तो ऐसे पाए गए, जहां ग्राम वन अधिकार समिति में एक भी महिला शामिल नहीं है, जबकि 14 प्रतिशत गांवों की समिति में सिर्फ 1 महिला को ही सदस्य बनाया गया है।

चूंकि ज्यादातर स्थानों पर ग्राम वन अधिकार समिति के सचिव ग्राम पंचायत के सचिव को ही बनाया गया है। इस दशा में समिति का स्वतंत्र अस्तित्व नजर नहीं आता। 56 प्रतिशत लोगों ने अपने दावा फार्म पंचायत सचिव के पास जमा करवाए। किन्तु सचिव द्वारा उन्हें सत्यापन के लिए ग्राम वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय ग्रामसभा से अनुमोदित करवाकर सीधे उपखण्ड स्तरीय समिति को भेज दिए गए। अध्ययन से सामने आए तथ्यों के अनुसार 21 प्रतिशत लोगों ने जनपद पंचायत और इतने ही लोगों ने नाकेदार को अपने दावा प्रपत्र प्रस्तुत किए। इससे स्पष्ट है कि ग्राम वन अधिकार समिति को नजरअंदाज कर प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। जिससे फैसले में समुदाय की सहभागिता नहीं हो पाई। ग्राम वन अधिकार समिति की बैठकों का आयोजन भी नियमानुसार नही हुआ है। 75 प्रतिशत गांवों की समिति के अध्यक्षों ने अब तक कोई भी बेठक नहीं होने की बात कही है, वहीं 45 प्रतिशत सदस्यों ने भी बैठक नहीं होने की बात बताई। जबकि 42 प्रतिशत सदस्यों तथा 9 प्रतिशत अध्यक्षों को बैठक के बारे में कुछ पता नहीं है। सिर्फ 8 प्रतिशत गांवों के अध्यक्षों ने ही साल में एक या दो बार बैठक होने की बात कही। इस तरह इस समिति की बैठक बुलाने के मामले में कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती है। यानी इस समिति को निष्क्रिय बनाकर गांव स्तर पर पूरी प्रक्रिया ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा अपने हाथों में ही केन्द्रित कर ली गई।

o"kksa ls yfcr g dbl nkos

ग्राम वन अधिकार समिति के सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह दावेदारों के दावा प्रपत्र प्राप्त कर उन्हें उसकी प्राप्ति रसीद (पावती) दें। चूंकि सभी समितियों में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ही ग्राम वन अधिकार समिति के सचिव की भूमिका निभाई जा रही है। इस संदर्भ में 67 प्रतिशत मामलों में सचिव द्वारा दावेदारों को प्राप्ति रसीद नहीं दी गई, जिससे उनके पास इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है कि उनके द्वारा दावा प्रपत्र जमा किया गया है। इससे वे अपने दावा प्रपत्र पर किसी समिति से पूछताछ कर पाने में असमर्थ है। दावा प्रपत्र प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। एक ओर जहां दावा प्रपत्रो को ग्राम वन अधिकार समिति के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया वहीं 137 परिवारों के दावा प्रपत्रों को ग्रामसभा में भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से तंत्र के उत्तरदायित्व को लेकर भी कई सवाल सामने आते हैं। 17 प्रतिशत दावे अप्रैल 2008 से लंबित है। इसी तरह अप्रैल 2009 के लंबित मामलों की संख्या भी 17 प्रतिशत है। जनवरी 2010, अगस्त 2011 तथा अप्रैल 2012 से क्रमशः 18, 52 और 58 प्रतिशत मामले लंबित है। इन पर फैसला हुआ या नहीं, इस बात की कोई जानकारी दावेदारों को नहीं है। जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी दावेदार का दावा निरस्त किया जाता है तो उसकी कारण सहित लिखित सूचना संबंधित दावेदार को दी जानी चाहिए। किन्तु इन मामलों में न तो उनका दावा स्वीकृत किए जाने और न ही निरस्त किए जाने की कोई लिखित सूचना दावेदारों को दी गई। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि उपखण्ड स्तरीय समितियों द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाहन नहीं किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में 28 फरवरी 2013 तक कुल मिलाकर 1,73,062 अधिकार पत्रों का वितरण किया गया, जिनमें 1,61,512 आदिवासी व्यक्तिगत् दावे, 2,177 अन्य परंपरागत् वन निवासी तथा 9373 सामुदायिक दावे शामिल है। सरकार की पूरी कोशिश है कि सभी पात्र लोगों को उनका अधिकार मिले। पात्र आदिवासी एवं अन्य परंपरागत् वन निवासियों को वन भूमि पर अधिकार की दिशा में जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं को हर संभव हल करने का प्रयास करेंगे।

-उईके, उपायुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

20 महिनों में पहुंचा दावा निरस्ती का पत्र

>kcqvkA जिले के फूलमाल गांव के 6 लोगों – कालू डामोर, श्रीमती धुली डमोर, रूपसिंह, बालू, दिलीप और कनसिंह ने आज से दो साल पहले वन अधिकार के दावा प्रपत्र ग्राम पंचायत को दिए थे। ये लोग पिछले कई सालों से वन भूमि पर खेती कर रहे है। कालू डामोर 25 सालों से अपनी जमीन पर खेती कर रहा हैं वहीं बालू 30 सालों तथा धुली डामोर, रूपसिंह, दिलीप और कनसिंह पिछले 20 सालों से वन भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे है। इसी खेती के जरिये उनके परिवार की आजीविका चलती है। इस जमीन पर खेती करते हुए उन्हें वन विभाग द्वारा कई बार बेदखल करने की कोशिश की गई, किन्तु अपने परिवार के भरण–पोषण की खातिर वे संघर्ष करते हुए इस जमीन पर लगातार कबिज रहे हैं। चार–पांच साल पहले रूपसिंह की जमीन पर वन विभाग के कर्मचारियों ने बबूल के बीज डाल दिए, किन्तु रूपसिंह ने खेती करना नहीं छोड़ा और आज भी वह इसी जमीन का लगातार उपयोग कर रहा है। इस प्रकार कानून के अनुसार रूपसिंह सहित सभी छह लोग इस जमीन के अधिकार पत्र हासिल करने की पात्रता रखते है।

बताया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा इनके दावा पत्रों को उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए थे। किन्तु कई महीनों तक इन दावाकर्ताओं को उनके दावा पत्रों पर लिए गए निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। 15 अगस्त 2012 को ग्रामसभा में जब लोगों ने अपने अधिकार पत्र के बारे में पूछा तो पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा उनके दावे निरस्त कर दिए गए। यहां यह सवाल सामने आता है कि दावे निरस्त करने के बाद दावाकर्ताओं को सूचना क्यों नहीं दी गई? यदि सूचना दी जाती तो वे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष अपील कर सकते थे।

Lkk/kkj.k dkj.kksa ls nkok fujLr ugha fd;k tk ldrk

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 के नियम 12क(10) एवं (11) में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि उपखण्ड स्तर या जिला स्तरीय समिति किसी दावे को निरस्त करती है तो उसे निरस्त करने का ब्यौरेवार कारण दिया जाना जरूरी है। दावे को सिर्फ तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से निरस्त नहीं किया जा सकता। नियमों मे यह भी कहा गया है कि उपखण्ड और जिला स्तरीय समिति किसी दावे पर विचार करने के लिए किसी विशिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य पर बल नहीं देगी।

आश्चर्य की बात यह है कि ग्राम सभा में दावाकर्ताओं द्वारा यह बात रखे जाने के छह दिन बात यानी 21 अगस्त 2012 को कोटवार के माध्यम से जनपद पंचायत का पत्र उन्हें मिला, जिस पर यह लिखा गया कि ''वन भूमि पर आपके दावे निरस्त किए जाते है।'' किन्तु दावे निरस्त किए जाने का कोई कारण नहीं लिखा गया। कोटवार ने बताया कि ये पत्र उन्हें एक दिन पहले जनपद पंचायत से दिए गए। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इन सूचना पत्रों पर 25 जनवरी 2011 की तारीख लिखी गई हैं। यानी पत्र जारी होने के 20 महिने बाद दावाकर्ताओं को दिए गए। यदि ये पत्र उसी समय उन्हें दे दिए जाते तो वे जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकते थे। दावाकर्ताओ का मानना है कि उनके दावे गलत तरीके से निरस्त किए गए हैं। वे पिछले 20–30 सालों से इस जमीन पर लगातार काबिज है और इस लिहाज से कानूनन् इस जमीन पर उनका अधिकार है। उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा उन्हें जानबूझ कर अपील करने से भी वंचित किया गया।

अनुभव और सीख

uhfr nhoku

गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 98 वर्षीय भावसिंह कहते है, कि ''हम कई सालों से उम्मीद लगाये बैठे थे कि जिस जंगल की जमीन पर हम पीढ़ियों से खेती कर रहे है, उस जमीन पर एक न एक दिन हमे सम्मान से रहने और खेती करने का अधिकार जरूर मिलेगा।'' वर्षो के इंतजार और तमाम संघर्षो के बाद पारित वन अधिकार कानून से उन्हे उनकी यह उम्मीद पूरी होने का भरोसा था। उनका यह सपना तमाम अवरोधों के बाबजूद चली लम्बी प्रक्रिया के बाद पूरा हो गया, किन्तु अन्य वन निवासियों की तरह उन्हें भी जमीन का यह हक पाने के लिए कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा।

मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग मे स्थित पूर्वी निमाड़ के नाम से पहचाने जाने वाले खण्डवा जिले की पहचान नर्मदा नदी के सुन्दर तट, पुरातात्विक धरोहर के अलावा नर्मदा नदी पर बन रहे बाधों के कारण भी है। जिले की पुनासा तहसील की ग्राम पंचायत सक्तापुर में शामिल गांव केलवा बुजुर्ग के जिरोठ फलिया के निवासियों ने अपने संघर्ष के बूते जंगल की जमीन पर यह हक पाने मे सफलता हासिल की है। इसके पीछे उनका पीढियों से चला आ रहा संघर्ष उन्हें सफलता अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। नर्मदा नदी पर बन रहे ओंकारेश्वर बांध के कारण डूब मे आ रहे 30 गांवों में से एक गांव केलवा बुजुर्ग भी है, गांव का जीरोठ फलिया भी डूब प्रभावित क्षेत्र के रूप मे घोषित किया गया। दरअसल भील आदिवासियों के इस फलिया के रहवासी पिछले 40 सालों से कक्ष क्रमांक 268 में जंगल की जमीन पर खेती करते आ रहे थे। उनके पास उपरोक्त जमीन का मालिकाना हक न होने के कारण डूब

पीढ़ियों का संघर्ष

खण्डवा जिले के डूब प्रभावित जिरोंठ फलिया के आदिवासियों ने हासिल किया वन भूमि पर कानूनी हक

प्रभावितों के तौर पर मिलने वाले बाजिब हक से वंचित होना पड़ रहा था। जबकि फलिया के रहवासी पिछले चालीस वर्षो से जंगल की जमीन पर खेती कर अपना भरण पोषण कर रहे थे। विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व 1 जनवरी 2008 में आये ''अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 नामक कानून के चलते उन्हें इस जमीन का हक मिला।

जबलपुर हाइकोर्ट के फैसले के बाद जिला वन अधिकार समिति ने जिरोठ फलिया के आदिवासियों के दावों के सत्यापन की प्रक्रिया फिर शुरू की। इस प्रक्रिया में 113 आदिवासी परिवारों के दावों को मान्य करते हुए प्रत्येक को 5-5 एकड़ जमीन के अधिकार पत्र वित. रित किए। चूंकि उनकी भूमि नर्मदा बांध के डूब क्षेत्र में थीं, इसलिए शासन ने जीरोठ फलिये के 113 परिवारों को प्रति परिवार 11 लाख 32 हजार रूपए मुआवजा वितरित किया है। इस तरह तीन साल चली लम्बी प्रक्रिया के बाद 113 परिवारों को कुल 12 करोड़ 79 लाख रूपये का मुआवजा प्रदान किया गया है।

जमीन का यह हक पाने के लिए उन्हें सबसे पहले सबूतों के साथ दावेदारी की प्रक्रिया शुरू करना पड़ी। दावेदारी की इस प्रक्रिया के चलते 4 सालों के अन्तराल के बाद वे इस जमीन के हकदार हो गए। दरअसल बेदखली की प्रक्रिया के दौरान आया यह कानून उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अप्रैल 2008 से उन्होंने दावे करने की प्रक्रिया शुरू की, यह प्रक्रिया दावा फार्म भरने से लेकर ग्राम वन अधिकार समिति को दावे जमा करने, ग्राम सभा की कार्रवाही करने एवं ब्लाक से लेकर जिला स्तर तक चली। उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान साक्ष्य जुटाने से लेकर विभिन्न समितियों द्वारा जानकारी लेने के लिए सूचना के अधिकार कानून का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया।

दावे के लिए दावेदारों द्वारा कानून मे मांगे गये सम्पूर्ण साक्ष्य पर्याप्त होने एवं ग्रामसभा, ग्राम वन अधिकार समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा मान्य किये जाने के बाबजूद इन्हें जिला स्तरीय समिति द्वारा अमान्य कर दिया गया था, जबकि कानून होने के बाबजूद दावेदारों को दावे निरस्त करने के कारणो के बारे मे जानक. ारी नही दी गई। जिला वन अधिकार समिति द्वारा दावे अमान्य किये जाने के बाद दावेदारों को अपना हक पाने के लिए अन्ततः हाइकोर्ट जबलपुर की शरण लेना पड़ी। जिसके निर्णय में हाइकोर्ट ने 11 अक्टूबर 2010 को जिला वन अधिकार समिति को ग्रामसभा एवं उपखण्ड समिति की अनुशंसा के अनुरूप पुनः विचार करने के आदेश दिये और कहा कि जब तक आदिवा. सियों के पुनर्वास की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें बेदखल करना कानून के विरूद्ध है। इस निर्णय के बाद जिला वन अधिकार समिति ने पुनः प्रक्रिया चलाकर इन दावों को मान्य कर 113 आदिवासी परिवारों को 5–5 एकड़ जमीन के अधिकार पत्र वितरित किए। चूंकि उनकी जमीन नर्मदा बांध के कारण डूब में आ गई थी, अतः सरकार ने जीरोठ फलिये के 113 परिवारों को प्रति परिवार 11 लाख 32 हजार रूपए मुआवजा वितरित किया है। इस तरह तीन साल चली लम्बी प्रक्रिया के बाद 113 परिवारों को कुल 12 करोड़ 79 लाख रूपये का मुआवजा प्रदान किया गया है।

कानून के मुताबिक सम्पूर्ण साक्ष्य होने एवं बाजिब हकदार होने के बाबजूद भी इन दावेदारों को अपना हक पाने के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ा। जबकि सभी दावेदारों के दस्तावेज मे वास्तविक हकदार होने के कई प्रमाण मिले जिनमें मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों के अलावा वन विभाग द्वारा सालों पहले काटी गई जुर्माना रसीदें प्रमुख थीं।

गांव के इतिहास से रूबरू कराते जीरोठ के निवासी डेवा बताते हैं कि उनके पिता सुरसिंह एवं गांव के दूसरे बुजुर्ग भावसिंह ने मिलकर अजनार नदी के किनारे यह गांव बसाया था। कई सालों पूर्व खरगौन जिले से मजदूरी के सिलसिले मे आये हमारे पूर्वज यहीं बस गये और यहां जमीन तोड़कर खेती करना शुरू किया। धीरे–धीरे हमारे परिवार बढ़ते गए और जमीन का रकबा भी जरूरत के हिसाब से बढ़ता गया। जब से हमने यहां खेती करना शुरू किया तभी से ही लगातार कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार हमें जंगल से बेदखल करने की भी कोशिश की गई। आज पूरे 113 परिवारों ने अपना हक प्राप्त किया। वर्षो के इंतजार के बाद मिली जीत की खुशी मनाते जीरोठवासीयों को उम्मीद है, कि इस अधिकार के आधार पर अब बाकी के हक भी उन्हे अवश्य ही मिल जाएंगे। इस तरह जीरोठ फलिया का यह उदाहरण राज्य ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर मार्गदर्शक बनेगा और जंगलवा. सियों को एतिहासिक अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए अवश्य ही सहायक और कारगर सिद्ध होगा।

भवन विहीन ग्राम पंचायतों में बनेंगे पंचायत भवन

जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने वहां पंचायत भवन बनवाने का निर्णय लिया है। 19 जुलाई को सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से संबंधित आदेश पिछले महीने प्रदेश की ग्राम पंचायतों तक पहुंचे। पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन ग्राम पंचायतों के पास पंचायत भवन नहीं है, उन्हें पर्चायत भवन निर्माण के लिए 12 लाख 85 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें से 2 लाख 85 हजार रूपए पंचायत राज संचालनालय द्वारा आवंटित किए जाएंगे तथा शेष 10 लाख रूपए की राशि मनरेगा से व्यय की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि पंचायत भवन का निर्माण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शासकीय भूमि पर किया जाएगा तथा भवन निर्माण करवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की रहेगी।

[kkl ckr

- जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत भवन निर्माण के लिए यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित ग्राम पंचायत में पंचायत भवन है या नहीं।
- पंचायत भवन का निर्माण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जाएगा।
- पंचायत भवन का निर्माण शासकीय भूमि पर किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अतिक्रमण व विवादित भूमि पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पंचायत संचालनालय द्वारा दी जाने वाली राशि का हिसाब–किताब का रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा और हर महीने नियमित रूप से कार्य की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि की रिपोर्ट पंचायत संचालनालय को भेजी जाएगी।
- यदि ग्राम पंचायत भवन किसी अन्य मद से स्वीकृत हो चुका हो तो राशि तुरन्त वापस करनी होगी।
- भवन निर्माण का कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत की होगी।

राज्य की खबरें

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ पंचायतों को आगे आना होगा-वी़ किशोर चंद्र

ubfnYyhA केन्द्रीय पंचायत राज मंत्री वी. किशोर चंद्र ने महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या के लिए लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी पंचायतों को सौपी है। उन्होंने सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए पंचायतों को सबसे अहम् जरिया माना। 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ पंचायतों को जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा के साथ–साथ महिला सभा की भी बैठकें होनी चाहिए, जिससे गांव के विकास में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। मंत्री श्री किशोर चंद्र ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई का फैलाव गांवों में न हो, इसके लिए ग्राम पंचायतों को सजग रहना होगा। ग्राम पंचायतों को ऐसे फैसले लेने होंगे, जिससे महिला समता और बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बेहतर पोषण उपलब्ध हो सकें। चूंकि पारंपरिक रूप से समाज में महिलाओं को कई मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्हें उनके पूरे अधिकार मिले, यह देखना अब ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है।

मनरेगा मध्यप्रदेश के दो सॉटवेयर स्कॉच अवार्ड से पुरस्कृत

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बनाए गए और सफल रूप से संचलित किए जाने वाले दो सॉटवेयर देश के ''स्कॉच अवार्ड 2013'' से पुरस्कृत किए गए। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए बनाए गए सॉटवेयर ''ऑडिट एण्ड फायनेशियल मैनेजमेंट सिस्टम'' एवं मनरेगा में की जाने वाली भुगतान व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए तैयार तैयार किए गए ''इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम'' को 2 सितम्बर को नईदिल्ली में मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार श्री नंदन निलकेणी और डॉ. सी. रंगराजन के हाथों प्रदान किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से यह पुरस्कार मनरेगा आयुक्त डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने ग्रहण किया।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में मध्यप्रदेश में लागू इलैक्ट्रनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से मजदूरों को सीधे उनके खाते में मजदूरी भुगतान की व्यवस्था बनाई है। इससे समय पर मजदूरी का भुगतान होने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही भुगतान में होने वाली गड़बड़ियों से भी बचा जा सकेगा।

घोषणा... पेज एक का शेष

कि मजूदरों से जुड़ी 16 घोषणाओं में से 8 पर ही अमल हुआ, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी 7 घोषणाओं में से सिर्फ 3 पर ही अमल हुआ।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जहां भाजपा ने प्रवासी मजदूरों पर कोई घोषणा नहीं की थी, वहीं भारतीय जनशक्ति पार्टी ने 4 एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक घोषणा इस पर की थी। मनरेगा पर भी भारतीय जनशक्ति पार्टी ने 4, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 घोषणाएं की थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भाजपा के बाद सबसे ज्यादा 370 घोषणाएं की थी, जिसमें मजदूर संबंधी 7, पंचायत संबंधी 4 एवं ग्रामीण विकास संबंधी 2 घोषणाएं शामिल थी।

उल्लेखनीय है कि चुनाव के पूर्व राजनैतिक दलों द्वारा जारी घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसमें राजनैतिक दल इस बात की घोषणा करते हैं कि यदि उनकी सरकार बनी, तो वे राज्य एवं जनहित में क्या–क्या काम करेंगे? सन 2003 के विधान सभा चुनाव से पूर्व लोक घोषणा पत्रों की पहल की गई थी। इसके बाद 2008 में भी इसे जारी रखा गया था। लोक घोषणा पत्र में सभी मुद्दों – महिला, बच्चे, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, खेती, ग्रामीण विकास, पंचायत, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर प्रदेश के कई संस्थाओं एवं संगठनों से बातचीत के बाद मुद्दों को शामिल किया गया था, जिसे विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ–साथ साझा किया गया था। जबलपुर जिले में आयोजित इस बैठक में उभरकर आए मुद्दों को भोपाल में एक राज्य सम्मेलन कर अंतिम स्वरूप देने के बाद विभिन्न दलों की चुनाव घोषणा पत्र समितियों को सौंपा जाएगा।

महिला सरपंच ... पेज एक का शेष

होगा, जिससे गाव के कुए–हैण्डपंप में जलस्तर बढ़ेगा और पशुओं के पीने के पानी की समस्या भी हल होगी। सरपंच पद पर अब तक के कार्यकाल में विभिन्न सरकारी योजना के अंतर्गत आंवटित सभी कार्यो को उन्होंने अपनी देखरेख में पूरा किया। कुसुमकली इस पंचायत की बीपीएल सूची में बदलाव करवाना चाहती है। यहां के 300 परिवारों में से मात्र 66 परिवारों के नाम ही बीपीएल सूची है, जिससे गरीब और वंचित समुदाय के कई परिवार सरकारी विकास योजनाओं से वंचित हो गए हैं। इसके लिए वे तहस. ीलदार और कलेक्टर को आवेदन देने की योजना बना रही है।

पंचम्

36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

सदस्य का नाम ____________________

वर्तमान पद ____________________

ग्राम पंचायत का नाम ____________________

ग्राम ____________________

पोस्ट ____________________

तहसील ____________________

जिला ____________________

राज्य ____________________

सदस्यता राशि का ब्यौरा

◆वार्षिक-80 रु. ◆द्विवार्षिक-150 रु. ◆त्रिवार्षिक-200 रु.
◆पंचवार्षिय-400 रु. ◆ आजीवन-5000 रु.

कृपया हमारी ग्राम पंचायत/पुस्तकालय/मुझे पंचायतों एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख समाचार पत्र पंचम् की सदस्यता प्रदान कर नियमित रूप से उक्त पते पर भेजने की कृपा करें। सदस्यता राशि नगद/मनी आर्डर/चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि रुपये (अंकों में) ....
(शब्दो में)..
.... दिनांक .... संलग्न है।
पावती भेजने की व्यवस्था करें। हस्ताक्षर
स्थान: .... नाम एवं पता
दिनांक ....

आपकी पंचायत से संबंधित लेख, रिपोर्ट और खबरें आमंत्रित

'पंचम' पंचायती राज जन-प्रतिनिधियों का अपना समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज से जुड़ी समस्याएं, सुझाव, प्रमुख योजनाओं एवं ग्राम विकास से संबंधित प्रमुख जानकारियों के साथ पंचायती राज के सशक्तिकरण करने कि दिशा में जन-प्रतिनिधियों की भूमिका, जिम्मेदारी, चुनौतियां, उनके द्वारा किये गये प्रयासो को प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है ताकि सामुदायिक विकास कार्यो में सहभागी निर्णय प्रक्रिया के द्वारा शासन-प्रशासन में पारदर्शीता एवं जबाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। आप भी अपने कार्य क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने/लिखने के लिये प्रेरित कर सकते हैं अथवा उनसे बातचीत के आधार पर आप स्वंय लिख कर माह के 5 तारीख तक फेटोग्राफ के साथ हमें आवश्य भेज दे ताकि समुचित स्थान मिल सके।

आपके सवाल व समाधान

पिछले 16 सालों से यह अनुभाव हुआ है कि प्रदेश की पंचायत और प्रतिनिधियों से जुड़ी कई कठनाईयों होती हैं जिसका समाधान स्थानीय स्तर पर नही हो पा रहा है अपने अधिकारों की एवं शासकीय आदेश निर्देश की जानकारी सुलभ नही हो पाती है। जिसके कारण आम आदमी से लेकर पंचायत तक दर-दर भटकना पड़ता है। इस समस्या का हल खोजने के पंचम आपके सवाल व समाधान के नाम से एक साझा मंच आपके सामने प्रस्तुत रहा है। जिसमें आप अपने सवाल हमें निर्धारित प्रारूप में भेज सकते हैं। जिसके जवाब हम संबंधित विभाग के अधिकारी से पूछेंगे और उनके जवाबों को अगले अंको में प्रकाशित करते रहेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आगे बढ़कर सुशासन को प्रभावी बनाने के इस साझे मंच का उपयोग करेंगे।
आपके....???

सवाल व समाधान

नाम..
.... ग्राम पंचायत का नाम ....
जनपद पंचायत .... जिला ....

अपना सवाल जवाब इस पते पर भेजें-
36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

निर्मल पंचायत की ओर बढ़ते कदम

Lkhgkj ftyi dh xke ipk;r [kMok ei LoPNrk vfHk;ku di vrxr vk;kftr cBd ei 110 ykxk u fgLlnkjh dhA

xfjek ;kno }kjk

सीहोर। स्वच्छता का स्वास्थ्य और विकास से घनिष्ट संबंध है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीहोर जिले में निर्मल भारत कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 10 सितम्बर को जिले की खण्डवा नामक ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों सहित 110 लोगों ने हिस्सेदारी की।

गांवों में जन सहभागिता से स्वच्छता कायम करने तथा निर्मल पंचायत के निर्माण हेतु इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके लिए कार्यक्रम से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा गांवों का भ्रमण किया जाता है और स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में पंचों एवं सरपंचों का उन्मुखीकरण किया जाता है। साथ ही प्रचार सामग्री का वितरण किया जाता है।

ग्राम पंचायत खण्डवा में पिछले महीने आयोजित स्वच्छता अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को निर्मल पंचायत के आवेदन की प्रक्रिया के बारे विस्तार से जानकारी दी गई और पंचायत को निर्मल बनाने में ग्रामीणों की भूमिका के बारे में बताया गया। साथ ही जल संवर्धन एवं संरक्षण के तरीकों पर चर्चा की गई। इस दौरान यह भी बताया गया कि '' ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुस. ूचित जाति, जनजाति, बीपीएल परिवारों, सीमान्त कृषको, भूमिहीन मजदूरों, निशक्त मुखिया तथा विधवा मुखिया के घर पर शौचालय बनाने के लिए निर्मल भारत अभियान से 4600 रूपए प्रोत्साहन राशि तथा मनरेगा से 4400 रूपए की राशि व्यय की जाती है और हितग्राही को 900 रूपए अंशदान करना होता है।'' इस प्रकार शौचालय का निर्माण कर ग्राम मे स्वच्छ वातावरण तथा बेहतर पर्यावरण और विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल परिवारों, सीमान्त कृषको, भूमिहीन मजदूरों, निशक्त मुखिया तथा विधवा मुखिया के घर पर शौचालय बनाने के लिए निर्मल भारत अभियान से 4600 रूपए प्रोत्साहन राशि तथा मनरेगा से 4400 रूपए की राशि व्यय की जाती है और हितग्राही को 900 रूपए अंशदान करना होता है।''

खास बातें

- पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को निर्मल पंचायत की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया।
- निर्मल पंचायत में ग्रामीणों की भूमिका और सहभागिता पर चर्चा की गई।
- निर्मल पंचायत के संबंध में संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
- जल संवर्धन एवं संरक्षण के तरीकों पर बातचीत की गई।
- मर्यादा अभियान के बारे में बताया गया।

हेल्पलाईन

हेल्पलाईन पर पूछे, समझे, और उपयोग करे
आपकी मदद के लिये तत्पर हेल्पलाईन नं. 0755-2467625, 4993147
पंचायत राज महासंघ सचिवालय
36, ग्रीन एवेन्यु, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश

स्वामी एवं प्रकाशक पंचायती राज महासंघ के लिए सचिव पंचायती राज महासंघ द्वारा प्रकाशित एवं केपीटल प्रिंटर्स ए-1, प्लाट नं 7 प्रेस काम्पलेक्स एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित एवं 36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- लता गुडडू वानखेड़े, कार्यकारी संपादक-राजेन्द्र बंधु, संपादकीय सलाहकार मंडल, ब्रजकिशोर डण्डोतिया, चतुरेश सेन, श्याम श्रीवास्तव, आशुतोष रजक। मुद्रित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.बी एक्ट के तहत जिम्मेवार, न्यायिक क्षेत्र-भोपाल। सहयोग- समर्थन, भोपाल (म.प्र.) फोन नं. 0755-2467625, 4993147